राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः– 26 APR 2022

–:आदेश:–

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(7)वित्त/कर/2021–54 दिनांक 30.09.2021 में किए गए संशोधन अनुसार मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों के श्रेणी में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित/विक्रीत भूखण्डों के साथ–साथ स्वयं खातेदारों एवं उनके पश्चातवर्ती क्रेताओं द्वारा विक्रीत भूखण्डों के संबंध में प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 में केवल भूखण्ड के मूल्य के 20 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने तथा साथ ही भूखण्ड पर स्थित निर्माण के मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 21.10.2021 के बिन्दु सं. 1 में उल्लेखित अवधि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(7)वित्त/कर/2021–54 दिनांक 12.04.22 के क्रम में दिनांक 31.03.2023 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी सं. 102201829 दिनांक 18.04.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते हैं

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamS